

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(2)कार्मिक/क-4/2016

जयपुर, दिनांक : 27-10-2016


आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2016-17 की अनुशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला के पद पर संस्थाई रूप से कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपर टाईम वेतन श्रृंखला में पुनरीक्षण एवं परिशोधन के अधीन चयन किया गया है। इन अधिकारियों को आगामी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने अथवा आगामी आदेशों तक (जो भी पहले हो) राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपर टाईम वेतन श्रृंखला में पूर्णतया आवश्यक अस्थाई तौर पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम
1.	श्री मातादीन मीणा (अजजा)
2.	श्री पुरुषोत्तम शर्मा
3.	श्री देवाराम सैनी
4.	श्री नखतदान बारहठ

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
8. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि अन्य सभी को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.4(5)कार्मिक/क-4/2006

जयपुर, दिनांक : 26.10.2016

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-31 के अन्तर्गत राजस्थान तहसीलदार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आवश्यक रूप से पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार (तदर्थ) नियुक्ति पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि
1	गोपी लाल चन्देल (अ.जा.)	13/10/1957
2	रतन लाल रैगर (अ.जा.)	05/07/1963
3	लक्ष्मी कान्त गुप्ता	23/08/1961
4	भानी राम/हेतराम	01/07/1957
5	संजू पारीक	04/07/1978
6	अनीता धरतवाल	27/05/1982

यह पदोन्नतियां निम्नांकित शर्तों पर की जाती हैं :-

- (1) उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक-अस्थाई आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार, प्रदत्त किये, दी जा रही है।
- (2) जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, उस पद से कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
- (3) आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
- (4) पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (5) आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
- (6) आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति केवल आगामी नियमित पदोन्नति से राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
- (7) इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव
फोन नं0 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

4/10